आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
20/06/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 09/2008** **बिरजू उरांव, पिता–स्व0 जग्रन्नाथ उरांव बनाम् मांगू मुण्डा व अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील क्रमांक–01-R15/2007-08 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। प्रश्नगत् वाद में अपीलार्थी जग्रन्नाथ उरांव के पुत्र है, जबकि विपक्षी मटुवा मुण्डा, घासिया मुण्डा एवं सुकरा मुण्डा के पुत्र है। उभयपक्षों के द्वारा सुनवाई की गयी एवं उन्हें लिखित बहस दायर करने हेतु निदेशित किया गया। मात्र आवेदकों के तरफ से ही लिखित बहस दायर की गयी। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा वाद संख्या–59/1992–93 में दिनांक–16.07.1996 को भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध विपक्षियों की तरफ से अपर समाहर्त्ता के न्यायालय में वर्ष–2007 में अपील दायर की गयी। 11 वर्षों के विलम्ब से दायर इस अपील आवेदन के साथ विलम्ब को क्षान्त करने हेतु कोई आवेदन भी संलग्न नहीं था। अपर समाहर्त्ता के आदेश में भी इस विलम्ब के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है न ही अपीलीय न्यायालय के अभिलेख में विलम्ब के क्षान्त किये जाने का कोई उल्लेख है। स्पष्टतः 11 वर्षों के लम्बे अन्तराल के बाद अपील आवेदन पर सुनवाई के पूर्व इस विलम्ब के बिन्दु पर एवं वाद के सुनवाई योग्य होने के बिन्दु पर सुनवाई आवश्यक थी, जो प्रश्नगत् मामले में नहीं किया गया तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक–02.04.2007 को मात्र विपक्षी के अधिवक्ता को सुनते हुये वाद सुनवाई हेतु स्वीकृत कर लिया गया। उक्त अपील आवेदन में विपक्षियों के द्वारा यह कहा गया कि उन्हें प्रश्नगत् भूमि वापसी वाद संख्या–59/1992–93 के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी (आवेदन की कंडिका–2)। उक्त भूमि वापसी वाद के अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् वाद में विपक्षियों को नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके पश्चात् दिनांक–22.06.1992 को उनके द्वारा वकालत नामा के साथ समय आवेदन दायर किया गया। पुनः दिनांक–18.07.1992, 12.08.1992,	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	07.09.1992, 12.11.1992, 11.12.1992, 19.03.1993, 21.04.1993, 25.05.1993, 23.06.1993, 23.07.1993, 23.08.1993 को विपक्षियों के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर कारण पृच्छा दायर करने हेतु समय की मांग की गयी। उन्हें दिनांक–24.09.1993 को अंतिम मौका दिया गया, जिसके बाद भी दिनांक–03.11.1993, 09.12.1993, 10.02.1994, 17.02.1994, 23.03.1994 को विपक्षी द्वारा समय आवेदन दिये गये। विपक्षियों के इस आचरण को देखते हुये न्यायालय द्वारा उन्हें एक पक्षीय सुनवाई की चेतावनी भी दिनांक–11.07.1994 को अंकित की गयी थी। अंतिम सुनवाई के समय विपक्षी द्वारा पुनः एक नया वकालत नामा समय आवेदन दायर किया गया। उक्त तिथि को उन्हें दिनांक–16.05.1995 को लिखित बहस देने हेतु निदेशित किया गया। दिनांक–05.06.1995 को विपक्षी द्वारा गवाह भी प्रस्तुत किये गये, जिनकी गवाही भी प्रथम पक्ष के अनुपस्थिति में दर्ज करायी गयी। दिनांक–13.09.1995 को विपक्षी की गवाही एवं प्रतिपरिक्षण भी किये गये। उभयपक्षों के लगातार असहयोग को देखते हुये अंततः दिनांक–16.07.1996 को भूमि वापसी का आदेश पारित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त वाद में घसिया उरांव व अन्य जो विपक्षियों के पिता है, पक्षकार थे। स्पष्टतः विपक्षियों के द्वारा अपीलीय न्यायालय में किया गया दावा कि उन्हें वाद संख्या–59/1992–93 की कोई जानकारी नहीं थी, पूर्णतः गलत है एवं अपीलीय न्यायालय को गुमराह करते हुये उनके द्वारा 11 वर्षों के पश्चात् अपीलीय न्यायालय से भूमि वापसी के आदेश को रद्द कराया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि इसी भूमि को लेकर बिरजू उरांव व अन्य के द्वारा एक भूमि वापसी वाद–460/2002–03 दायर किया गया, जिसमें विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा भूमि वापसी के दावे को अस्वीकृत किया गया। उक्त वाद में विपक्षी के रूप में घसिया मुण्डा व अन्य के नाम दर्ज थे। इस वाद में विस्तृत सुनवाई एवं गवाहों के प्रतिपरिक्षण के पश्चात् विनियमन पदाधिकारी द्वारा प्रश्नगत् भूमि वापसी के दावे को कालबाधित घोषित करते हुये अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त आदेश अपीलीय न्यायालय में तथा पुनरीक्षण न्यायालय में भी सम्पुष्ट हुआ। विचारणीय है कि उक्त भूमि वापसी वाद के सुनवाई में भी वाद संख्या–59/1992–93 में पारित आदेश के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। स्पष्टतः अपर समाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा बिना उचित समीक्षा किये 11 वर्षों के लम्बे अन्तराल के पश्चात् मात्र विपक्षियों के दावे के आधार पर अपील सुनवाई हेतु	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	अंगीकृत किया गया एवं भूमि वापसी के आदेश को रद्द भी कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय का सम्पूर्ण आदेश इसी तथ्य पर आधारित है कि भूमि वापसी के वाद के संबंध में विपक्षियों को जानकारी नहीं थी, जो पूर्णतः गलत है, क्योंकि विपक्षी नियमित रूप से भूमि वापसी वाद में समय आवेदन देते रहे एवं उनके द्वारा उक्त वाद में गवाहों को भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में घसिया मुण्डा (विपक्षी) को नोटिस का तामिला नहीं किये जाने का उल्लेख है, किन्तु यह उल्लेख भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। वर्णित परिस्थिति में यह स्पष्ट होता है कि पक्षकारों के द्वारा विभिन्न न्यायालय प्रक्रियाओं का दुरूपयोग करते हुये एक ही भूमि के संबंध में आदेश प्राप्त किये गये है। प्रश्नगत् पुनरीक्षण वाद में वाद संख्या–52 / 1992–93 में पारित आदेश ही विचार का बिन्दु है। विस्तृत सुनवाई के पश्चात् विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा उक्त आदेश पारित किया जा चुका है। अपीलीय न्यायालय द्वारा 11 वर्षों के विलम्ब को नजरअंदाज करते हुये 2007 में उक्त आदेश को रद्द कर दिया गया, जो न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। वर्णित तथ्यों के आलोक में अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा एस0 ए0 आर0 अपील क्रमांक–01-R15/2007-08 में पारित आदेश को रद्द किया जाता है। विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश कायम रहेगा। इस न्यायालय द्वारा पूर्व में यदि कोई स्थगन आदेश निर्गत किया गया है, तो उसे समाप्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति अपर समाहर्त्ता, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। Sd/- 20/6/12 प्रमण्डलीय आयुक्त लेखापित एवं संशोधित Sd/- 20/6/12 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.09.05 12:31:50 +05:30
Location: 192.168.1.40